

G.C.M.S.
2020/000039
20/09/20

28

फर्द अहकाम

सिणधरी

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

पच्छाराशत्र कन्ड दुर्गाराम पाट
पत्नी चतरवाणी की दावी

निबंधकोट

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 28/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-9-2020	<p>पटवारी हल्का निबंधकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् (2020) में मौजा पत्नी चतरवाणी के खसरा संख्या 220/2 रकबा 0.016/5 की दावी किस्म भूमि (अ.भू.श.त.) पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-9-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
16-9-2020	<p>पत्रावली भा. 10 पेश हुई गैर सायल मिलावट। गैर सायल का जवाब देते अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	

30-9-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपादित।
गैर साफल के जवाब हेतु भवत दिनांक 22-10-2020 के पत्रावली
पत्रावली दिनांक 22-10-2020 के पेश है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपादित।
गैर साफल के अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली
फैलल सुधार है। निर्णय मलय ले लिखा
जाकर शामिल पत्रावली है। निर्णय सुके
अध्यालय के द्वारा जग पत्रावली फैलल
सुधार हेतु ^{दफ्तर} दाखिल है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर